

विधान सभा सचिवालय
मध्यप्रदेश
//शुद्धि पत्र//

दिनांक 05.12.2025 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढ़ा जावें।

भाग-2 नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या एवं क्रमांक	मुद्रित पृष्ठ	अशुद्ध	शुद्ध
(1)	(2)	(3)	(4)
परि.अता.प्र.सं.04 (क्र.45) प्र. (ग) एवं (घ)	23	नियम विरुद्ध	नियम विरुद्ध
परि.अता.प्र.सं.35 (क्र.817) प्र. (ग)	43	कार्यवाही गई	कार्यवाही की गई
परि.अता.प्र.सं.42 (क्र.864) प्र. (घ)	47	क्रियान्वयन से	क्रियान्वयन से
परि.अता.प्र.सं.42 (क्र.864) उ. (घ)	49	प्रभावित होने	प्रभावित होने
परि.अता.प्र.सं.59 (क्र.1105) प्र. (ग)	64	दुकान के बिक्रय	दुकान के विक्रय
परि.अता.प्र.सं.62 (क्र.1113) प्र. (घ)	67	2024-25 भुगतान	2024-25 तक भुगतान
परि.अता.प्र.सं.87 (क्र.1230) प्र. (घ)	88	नायब तहसीलदार	नायब तहसीलदार

भाग- 3 अतारांकित प्रश्नोत्तर

अता.प्र.सं.28 (क्र.387) प्र. (घ)	141	निर्माणाधीन लागत	निर्माणाधीन लागत
अता.प्र.सं.29 (क्र.388) प्र. (घ)	142	इसका कम तक	इसका कब तक
अता.प्र.सं.32 (क्र.443) प्र. (क)	144	हो? चूंकि	हो चुकी
अता.प्र.सं.77 (क्र.1068) प्र. (क)	173	निम्नासुर था	निम्नानुसार था

स्थान :- विधान सभा भवन
भोपाल

दिनांक :- 04.12.2025

अरविंद शर्मा
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा